# "अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (एबीवीकेवाई)" का परिचय

# श्रम को आर्थिक सम्बल और स्वाभिमान का सम्मान


श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय
भारत सरकार

सत्यमेव जयते

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

**अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (एबीवीकेवाई)**: यह योजना एक कल्याणकारी उपाय है, जिसे क.रा.बी. अधिनियम 1948 की धारा 2(9) के तहत व्याप्त किए गए कर्मचारियों के लिए क.रा.बी.निगम द्वारा 19 दिनों तक राहत भुगतान के रूप में दिया जाता है। इस योजना की शुरुआत 01–07–2018 में दो साल की अवधि के लिए पायलट आधार पर किया गया। इस योजना को अब एक और वर्ष के लिए 1 जुलाई, 2020 से 30 जून, 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। योजना के तहत पात्रता शर्तों में छूट के साथ बेरोजगारी राहत की दर को पूर्व की 25% की दर से बढ़ा कर मजदूरी के 50% तक बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया है, बशर्ते बीमित व्यक्ति को दो वर्षों की न्यूनतम अवधि के लिए बीमा योग्य रोजगार में होना चाहिए उसकी बेरोजगारी के तुरंत पहले के योगदान की अवधि 78 दिनों से कम नहीं के बराबर योगदान देना चाहिए और बेरोजगारी से पहले के दो वर्षों में शेष तीन योगदान अवधि में से एक में न्यूनतम 78 दिन के बराबर योगदान देना चाहिए।

इस महत्वपूर्ण छूट में, बेरोजगारी की तारीख से 30 दिनों के बाद भुगतान के कारण राहत मिलेगी और श्रमिक द्वारा निर्दिष्ट क.रा.बी.निगम शाखा कार्यालय में सीधे दावा प्रस्तुत किया जा सकता है। बढ़ाया हितलाभ और राहत की स्थिति 24 मार्च 2020 से 31 दिसंबर 2020 की अवधि के दौरान लागू होती है। राहत पाने के दावे वेबसाइट www.esic.in पर ऑनलाइन किए जा सकते हैं, साथ ही एक शपथ पत्र, आधार कार्ड की फोटोकॉपी के साथ प्रत्यक्ष दावा और बैंक खाता विवरण डाक द्वारा या व्यक्तिगत रूप से निर्दिष्ट क.रा.बी.निगम शाखा कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा। बीमित व्यक्ति (आइपी) के बैंक खाते में दावे और भुगतान के सत्यापन की पूरी प्रक्रिया 15 दिनों के भीतर पूरी हो जाएगी।

## अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत

## कामगारों के लिए राहत राशि की गई दुगुनी

## भुगतान सीधे कामगारों के बैंक खाते में

## योजना की शर्तों में रियायत

## कामगार साथी ऑनलाइन आवेदन www.esic.in पर करें

# 'अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न' और उनके उत्तर
# 'अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (एबीवीकेवाई)'

| क्रम. सं. | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1 | क्या बेरोजगारी बीमित व्यक्तियों (आईपी) को व्याप्त करती है, जिन्हें लॉकडाउन अवधि के दौरान नियोक्ताओं से वेतन नहीं मिला और जिनके अंशदान को 0 (शून्य) के रूप में दिखाया जा रहा है?<br><br>क्या नियोक्ता के लिए ईएसआईसी चालान सूची से बीमाकृत व्यक्तियों के नामों को हटाना अनिवार्य है? क्योंकि अधिकांश मामलों में श्रमिकों का अंशदान '0' और अभी तक अयोग्य दिखाई दे रहा है। | नहीं।<br><br>इस योजना के तहत राहत केवल उन बीमाकृत व्यक्तियों (आईपी) को उपलब्ध है, जिन्हें बेरोजगार किया गया है। एक आईपी को केवल तभी बेरोजगार माना जाएगा, यदि जब उसके नियोक्ता ने उसे मासिक अंशदान चालान में बाहर कर दिया हो। यदि नियोक्ता ने मासिक अंशदान चालान में आईपी के लिए '0' अंशदान दिखाया है, तो इसका मतलब है कि आईपी अभी भी नियोक्ता के साथ नियोजित है और नियोक्ता इन कर्मचारियों को कुछ राशि का भुगतान कर सकता है, इसलिए ऐसे कर्मचारी योजना के तहत राहत के लिए पात्र नहीं हैं। |
| 2 | क्या यह योजना उन आईपी को व्याप्त करती है जो तालाबंदी के दौरान बेरोजगार थे लेकिन अब काम कर रहे हैं? | ऐसे कर्मचारी, यदि आवश्यक पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं, तो योजना के तहत राहत के पात्र हैं। लेकिन दावे की अवधि के दौरान दावेदार बेरोजगार रहा होगा। |
| 3 | बेरोजगारी के बाद पहले 30 दिनों के लिए दावेदार योजना के तहत दावा दायर नहीं कर सकता है। | दावेदार बेरोजगार होने के 30 दिनों बाद राहत के लिए दावा दायर कर सकता है (अर्थात् नियोक्ता द्वारा बाहर दिखाया गया है)। दावेदार अपनी बेरोजगारी के ठीक बाद एक महीने के लिए दावा दायर कर सकता है। |
| 4 | क्या सिस्टम द्वारा दावे का निर्माण योजना के अंतर्गत राहत के भुगतान की गारंटी है। क्या सिस्टम द्वारा दावा निर्माण की अनुमति देने के बाद भी दावे को खारिज किया जा सकता है? | सिस्टम द्वारा दावे का निर्माण योजना के अंतर्गत राहत के भुगतान के लिए गारंटी नहीं है। यदि नियोक्ता के रिकॉर्ड के साथ शाखा कार्यालय प्रबंधक द्वारा दावे के सत्यापन के दौरान दावेदार अयोग्य पाया जाता है, तो शाखा कार्यालय प्रबंधक द्वारा दावे को अस्वीकार किया जा सकता है, हालांकि ऐसे मामले दुर्लभ होने चाहिए। |

| क्रम. सं. | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 5 | अधिवर्षिता की आयु क्या है? | किसी भी बीमित व्यक्ति की अधिवर्षिता की आयु कंपनी के कानून के अनुसार कंपनी की नीति के अनुसार विशिष्ट है। ईएसआई अधिनियम की धारा 56 के तहत स्पष्टीकरण के अनुसार अधिवर्षिता की आयु साठ वर्ष की आयु के रूप में ली जा सकती है। |
| 6 | यह एक सामान्य परिघटना है कि कर्मचारी नौकरी छोड़ने के लिए कंपनी से अपना इस्तीफा सौंप देते हैं। क्या उन कर्मचारियों को जिन्होंने नौकरी छोड़ने के लिए अपना इस्तीफा सौंप दिया है, एबीवीकेवाई के तहत राहत के पात्र हैं। | जिन कर्मचारियों ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है, उन्हें बेरोजगार माना जाएगा और यदि पात्र हैं तो उन्हें इस योजना के अंतर्गत राहत दी जा सकती है, बशर्ते कि नियोक्ता ने इस्तीफा देने / नौकरी छोड़ने के समय किसी भी छंटनी हितलाभ / आर्थिक प्रतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया हो। |
| 7 | क्या लॉकडाउन (सरकारी आदेश द्वारा नियोक्ता पर मजबूरन अस्थायी प्रकृति का एक समापन होना) कर्मचारियों को मुआवजे का भुगतान करने के लिए एबीवीकेवाई के तहत एक योग्यता कारक हो सकता है। | लॉकडाउन या लॉक–आउट के मामले में एबीवीकेवाई के तहत राहत स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लॉक–आउट ध लॉकडाउन की अवधि के दौरान नियोक्ता कर्मचारियों को लगातार नियुक्त करता रहता है। |
| 8 | क्या कर्मचारी को उसकी बेरोजगारी के बारे में पूछताछ करनी है और क्या उसकी बेरोजगारी के संबंध में कोई घोषणा शाखा प्रबंधक द्वारा दावा के सत्यापन के दौरान की जानी है। | कर्मचारी (बेरोजगार पूर्व आईपी) से कोई घोषणा प्राप्त नहीं किया जाएगा। कर्मचारी से पूछताछ से भी बचना है। पूर्व आईपी की सभी आवश्यक जानकारी सत्यापन के समय नियोक्ता से प्राप्त की जा सकती है। |
| 9 | सत्यापन के दौरान नियोक्ता दर्शाता है कि कर्मचारी ने नौकरी छोड़ दी है या इस्तीफा दे दिया है या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली है। | कर्मचारियों को बेरोजगार माना जाएगा, और यदि पात्र हैं तो उन्हें इस योजना के अंतर्गत राहत दी जा सकती है, बशर्ते कि नियोक्ता ने इस्तीफा देने / नौकरी छोड़ने के समय किसी भी छंटनी हितलाभ / आर्थिक प्रतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया हो। |
| 10 | अगर बेरोजगार कर्मचारी के संबंध में ईपीएफ अंशदान का भुगतान किया गया है, तो क्या कर्मचारी को बेरोजगार माना जाना है। | नहीं।<br>यदि सत्यापन के दौरान यह पाया जाता है कि कर्मचारी के संबंध में ईपीएफ अंशदान का भुगतान किया गया है, तो कर्मचारी को बेरोजगार नहीं माना जाएगा। |

**अधिक जानकारी के लिए ईएसआईसी शाखा या टोल फ्री नं. 1800 11 2526 पर संपर्क करें**


श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय
भारत सरकार
सत्यमेव जयते
www.facebook.com/labourministry
@labourministry

कर्मचारी राज्य बीमा निगम
www.facebook.com/esichq
@esichq